राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक एफ 37( )पसावि/प्र.2/प.रा.म.क.संघ/ज्ञापन/18/पार्ट/1821 जयपुर दिनांक: 16/5/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।

विषयः— ग्राम विकास अधिकारी के चार्ज के संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 05.10.2018 के विरूद्व माननीय न्यायालय से जारी स्थगन आदेशो के संबंध में।

विभागीय परिपत्र दिनांक 05.10.2018 के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी का चार्ज समीप की पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को ही दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर द्वारा उपरोक्त आदेश के विरूद्व प्रार्थीगण के संबंध में एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किये गये है। इस संबंध में विभागीय परिपत्र कमांक 4586 दिनांक 06.12.2017 के बिन्दु संख्या 1 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि माननीय न्यायालय द्वारा पारित कोई अन्तरिम आदेश विभागीय अधिनियम/नियम/परिपत्र आदेश एवं निर्देशो के विपरीत है, तो शीघ्र अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करावे एवं यदि ऐसे आदेश एक पक्षीय अन्तरिम आदेश है तो माननीय न्यायालय के समक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226(3) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अविलम्ब प्रस्तुत करवाया जावे।

अतः इससे संबंधित कोर्ट केस प्रभारी अधिकारीगण उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :—
1. संयुक्त शासन सचिव (विधि) मुख्यालय ।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
3. कम्प्यूटर सेल मुख्यालय।

15/5/2019
संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त(प्र.2)